2* पेंशन का वर्गीकरण

2.1 मुख्य वर्गीकरण–

पेंशन को मुख्य चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैं :– अधिवार्षिकी पेंशन, निवृत्तमान पेंशन और क्षतिपूरक पेंशन इसके अतिरिक्त अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, निगम कम्पनी अथवा निकाय में संविलयन होने पर पेंशन और अनुकम्पा भत्ता भी पेंशन की अन्य श्रेणियां है।

2.2 अधिवार्षिकी पेंशन–

(म0प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 का नियम32)

शासकीय सेवक के अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होते पर अधिवार्षिकी पेंशन की पात्रता होती है।

2.3 निवृत्तिमान पेंशन–

(म0प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 का नियम 33)

यह पेंशन उस समय स्वीकृत की जाती है जब शासकीय सेवक अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के पूर्व ही पेंशन नियम 42 के अंतर्गत एक माह के नोटिस अथवा उस के समतुल्य वेतन भत्ते के समर्पण भुगतान के आधार पर स्वेच्छा से अथवा शासन द्वारा सेवानिवृत्त हो।

2.4 असमर्थता पेंशन–

यदि कोई शासकीय सेवक शारीरिक अथवा मानसिक अशक्तता अथवा शारीरिक व रूग्णता के कारण शासकीय सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ हो तो सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर असमर्थता पेंशन स्वीकृत की जाती है।

2.5 क्षतिपूरक पेंशन –

यदि किसी शासकीय सेवक को पद या स्थापना की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिया जाता है तो उसे क्षतिपूरक पेंशन स्वीकृत की जाती है।

2.6 **अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन–**

जब किसी शासकीय सेवक को शास्ति के रूप में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन स्वीकृत की जाती है। जो कि पेंशन अथवा उपदान अथवा दोनों; दो तिहाई से कम नहीं और क्षतिपूरक पेंशन अथवा उपदान अथवा दोनो से अधिक नहीं की दर से स्वीकृत किये जा सकते है। परन्तु इस प्रकार स्वीकृत पेंशन वर्तमान में रूपये 3025/–प्र.मा. से कम नहीं होगी।

2.7 **निगम, कम्पनी अथवा निकाय में संविलयन होने पर पेंशन –**

शासन द्वारा धारित अथवा नियंत्रित निगम, कम्पनी अथवा निकाय में किसी सेवा अथवा पद में शासकीय सेवक के संविलयित होने की शासन द्वारा लोकहित में अनुमति प्रदान की गई है तो, संवियिलन के दिनांक से अथवा शासन द्वारा अवधारित किसी दिनांक से, शासकीय सेवक निवृत्तमान पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ माना जावेगा और सेवानिवृत्ति लाभों को, जिसका उसने चयन किया हो, प्राप्त करने का पात्र होगा। परन्तु ऐसे प्रकरणों में न्यूनतम पेंशन के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

2.8 **अनुकम्पा भत्ता –**

शासकीय सेवक को सेवा से पदच्युत अथवा पृथक कर दिये जाने पर पेंशन और उपदान की पात्रता नहीं रहती है। परन्तु प्रकरण विशेष में, वह प्राधिकारी जिसने उसे पदच्युत अथवा पृथक किया था, अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत कर सकता है। अनुकम्पा भत्ता यदि शासकीय सेवक क्षतिपूरक पेंशन पर सेवानिवृत्त होता तो उसे पेंशन, अथवा उपदान अथवा दोनों की जो पात्रता होती, उसके दो तिहाई से अधिक नहीं होगा. परन्तु वर्तमान में यह न्यूनतम पेन्शन रूपये 3025/– से कम नहीं होगी।